(5)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी व सहायक जिलाधीश, मसूदा

जा.दी.प्रा.पत्र सं0 11/2011

कैलाश चन्द्र बनाम कैलाश व अन्य

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी.

:– निर्णय :– दिनांक 02.11.2016

इस प्रार्थना पत्र में प्रार्थी प्रतिवादी सं. 1 ने सारांशतः निवेदन किया है कि यह वाद खातेदार सत्यनारायण शर्मा वल्द बालकिशन शर्मा के मुख्तयारनामें से उसके भाई कैलाश चन्द्र शर्मा वल्द बालकिशन शर्मा निवासी जालिया द्वितीय द्वारा पेश किया गया है। यह मुख्तयारनामा फर्जी व बनावटी है जिसे पेश नहीं किया गया है। हस्तलेख विशेषज्ञ ने भी जांच कर अपनी राय दे दी है। वाद पत्र के पद सं. 3 में वादीगण ने इसी मुख्तयारनामें से वादी सं. 2 से 7 को विवादित भूमि को बेचान करना लिखा है तथा कथन किये हैं कि प्रतिवादी सं. 2 उपपंजीयक बिजयनगर ने बेचाननामें को दिनांक 02.11.2010 को पंजीयन करके इस नोट के साथ लौटाया है कि " दस्तावेज में वर्णित भूमि का एक अन्य दस्तावेज भी आज प्रस्तुत हुआ है जिसका विक्रेता कैलाश चन्द्र पुत्र बालकिशन शर्मा निवासी फुलेरा है। इस प्रकार एक ही भूमि के दो मालिकों द्वारा पृथक–पृथक बेचान पत्र प्रस्तुत हुए हैं। दोनों दस्तावेजों में स्वामित्व का निर्णय उपपंजीयक द्वारा नहीं किया जा सकता है एवं दस्तावेज रोकने, लौटाने को कोई युक्ति संगत आधार नहीं है। अतः दस्तावेज पंजीयन कर इस शर्त पर रिलीज किया जाता है कि सक्षम न्यायालय से स्वामित्व का अंतिम निर्णय न होने तक पटवारी नामान्तकरण की कार्यवाही नहीं करे "। इसी आधार पर वादीगण यह वाद लाये हैं। इसी प्रकार वादीगण ने वाद पद सं. 4 में हैरान परेशान करने की मंशा से वाद लाने के कथन किये हैं जबकि पद सं. 8 I में उप पंजीयक को प्रतिवादी सं. 3 लिखा है। पद सं. 8 II में वादीगण ने वाद स्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना बताया है जबकि वाद घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का लाए हैं। वाद कारण दिनांक 02.11.2010 को उत्पन्न होना बताया है और पेश दि. 17.01.2011 को किया है। उन्हें इस दौरान 2 माह 15 दिवस का समय मिला, फिर भी धारा 79 एवं 80 जाब्ता दिवानी के आज्ञापक प्रावधानानुसार राजस्थान सरकार के कारिन्दों को पक्षकार बनाने से पूर्व धारा 80(2) जाब्ता दिवानी का प्रार्थना पत्र पेश का न्यायालय को गुमाराह किया है। वादीगण ने प्रतिवादी सं. 2 को पक्षकार बनाया है तथा वाद कारण प्रतिवादी सं. 3 द्वारा अंकित तथा कथित नोट से उत्पन्न होना बताते है जिसे इस वाद पत्र में चैलेंज भी नही किया है। प्रतिवादी सं. 2 ने राज्य सरकार में नियुक्त लोक सेवक के पद पर नियुक्त रहते अपने दायित्व के निर्वहन के तहत नोट लगाया है इसलिए राज्य सरकार को पक्षकार बनाने के लिए राज्य सरकार बजरिये जिला कलक्टर अथवा सचिव राज. सरकार को 80 जाब्ता दिवानी का नोटिस देकर पक्षकार मुकदमा बनाना चाहिए था। वाद पत्र के पद सं. 3 व 8 I व 8 II में प्रतिवादी

सं. 2 व प्रतिवादी सं. 3 कहकर परस्पर विरोधाभासी कथन किए गए हैं अतः वाद अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11ए व डी के तहत खारिज योग्य। अतः खारिज किया जावे।

वादीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र के कथन नकारते हुए निवेदन किया है कि वादी सं. 1 ने मुख्तयारनामा आम अपने भाई सत्यनारायण के पक्ष में स्वेच्छा से निष्पादित कर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित कराया है। उसका मुख्तायारनामा राजकीय कार्यालय में पेश कर दिये जाने से उसकी छाया प्रति वाद पत्र के साथ पेश की गई है। हस्ताक्षर विशेषज्ञ की राय गलत है जो बिना विधिक प्रक्रिया के तैयार कराई गई है। वाद सही व्यक्ति द्वारा पेश किया गया है जो डिक्री योग्य है। प्रतिवादी सं. 2 नायब तहसीलदार बिजयनगर को पक्षकार बनाया गया है। वाद कारण सही अंकित किया गया है यह वाद निषेधाज्ञा बाबत् भी है। वादीगण ने 80(2) के प्रार्थना पत्र कर न्यायालय को गुमराह नहीं किया गया है। प्रकरण में राज्य सरकार को पक्षकार बनाया है तत्समय तहसीलदार मसूदा भूमिधारी थे अतः उन्हें बनाया है। वाद पत्र में वाद कारण अंकित है जिस पर प्रतिवादी सं. 1 को आपत्ति करने का अधिकार नहीं है, तनकी कायम कर तय किया जा सकता है। वाद में घोषणात्मक आज्ञप्ति सभी प्रतिवादीगण के विरूद्ध मांगी गई है। वादीगण ने अपने कथन में कोई विरोधाभास नहीं किया है इस बाबत् आपत्ति प्रतिवादी सं. 2 व 3 कर सकते हैं। विधिनुसार न्यायालय को वाद कथनों एवं उद्देश्य पित, सब्सटेन्स व अनुतोष पर विवेचन करना है न कि प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर। वाद किसी प्रकार से बाई लौ नहीं है प्रतिवादी ने प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत कर दिया है अतः मामला गुणावगुण पर ही साक्ष्य लेकर निर्णय किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है।

प्रार्थना पत्र पर बहस विद्वान अभिभाषकगण उभय पक्षान सुनी गई। प्रार्थी प्रतिवादी सं. 1 के विद्वान अभिभाषक ने अपने प्रार्थना पत्र के संदर्भ में तर्क दिये कि इन्हीं पक्षकारों एवं इसी विषय वस्तु को लेकर एक प्रकरण सिविल कोर्ट में विचाराधीन है। वादी सं. 1 के द्वारा श्री सत्यनारायण वल्द बालकिशन शर्मा को अपना अटोर्नी बनाया है। प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 का नाम भी कैलाश शर्मा वल्द बालकिशन शर्मा है उसके पिता सन् 1970–71 में थाना बिजयनगर में पुलिस उपनिरीक्षक के पद पर तैनात थे तब प्रार्थी को भूमि आवंटित हुई तब से वह काबिज है तथा अपनी देखरेख में काश्त करवाता चला आता है। पर्चा उसी के नाम से 1970 में मिला। पिताजी के फुलेरा जाने पर वह भी फुलेराउ चला गया। प्रार्थी प्रतिवादी सं. 1 एवं वादी सं. 1 के नाम एवं वल्दियत एक होने का नाजायज फायदा उठाकर तथाकथित पावर बनाई जो उसकी कोर्ट में जमा है इसलिए यहां पेश नहीं की है। वास्तव में वादी सं. 1 के पिता का नाम बालकृष्ण है जबकि प्रार्थी प्रतिवादी सं. 1 के पिता का नाम बालकिशन है। प्रार्थी ने एफ.आई.आर. दर्ज कराई जिस पर वादी सं. 1 एवं अटोर्नी सत्यनारायण को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण सं. 185/10 से प्रकरण दर्ज हुआ है। एस.एफ. 1 की रिपोर्ट में पावर झूठे एवं फर्जी पाये गये हैं। रिपोर्ट पत्रावली पर मेरे द्वारा पेश की हुई है। वादीगण को पर्याप्त अवसर मिला लेकिन उन्होंने धारा 80 जाब्ता दिवानी का नोटिस देने की अपेक्षा 80(2) का प्रार्थना पत्र पेश कर गुमराह किया है। सक्षमाधिकारी को पक्षकार नहीं बनाया है। वादीगण यह कहकर आये हैं कि वादी सं. 1 कैलाश चन्द्र के अटोर्नी सत्यनारायण ने वादीगण 2 से 7 के नाम दिनांक 02.11.2010 को रजिस्ट्री करवाई जिस पर प्रतिवादी सं. 2 नायब तहसीलदार बिजयनगर ने तथाकथित नोट लगाया कि एक ही भूमियों के दो मालिक आज बेचान दस्तावेज लाये हैं जबकि दिनांक 04.11.2010 को दोनों रजिस्ट्रियां पेश हुई है और दोनों पर दिनांक 04.11.2010 को निष्पादन स्वीकार हुआ है। वादीगण अपने कथन से वाद लाने के अधिकारी नहीं हैं। नायब तहसीलदार बिजयनगर को इस हैसियत से ऐसा नोट लगाने का अधिकार नहीं है। उपपंजीयक ही अपनी अधिकारिता में ऐसा नोट लगा सकता है। जहां एक ही विषय वस्तु एवं एक से पक्षकारान को लेकर दो

भिन्न–भिन्न कोर्टों में वाद विचाराधीन हो वहां ऐसे वाद चलने योग्य नहीं है। विचाराधीन प्रकरण में भी यही स्थिति है। प्रकरण 185/10 पूर्व से वादीगण के विरूद्ध लंबित जिसके तथ्य वादीगण ने अपने वाद में छुपाये हैं। प्रकरण में रेस्जूडिकेटा का सिद्धांत लागु होता है अतः वाद आदेश 7 नियम 11ए व डी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद मय खर्चे खारिज फर्माया जावे।

वितर्क में विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण/वादीगण ने तर्क दिये कि आदेश 7 नियम 11ए व डी के प्रावधानों के तहत वाद खारिज नहीं किया जा सकता। मेरा वाद सह पक्षकारान द्वारा सही विषय वस्तु के लिए नायब तहसीलदार बिजयनगर द्वारा मेरे विक्रय पत्र पर लगाये गये नोट के आधार पर लाया गया है। मैं विवादित अराजी में खातेदार हुं इसलिए अपने अधिकारों के लिए वाद लाया हुं। वाद डिक्री योग्य है। वाद पत्र पर प्रतिवादी सं. 1 प्रार्थी ने अपना प्रतिवाद पत्र पेशकर दिया है यदि प्रार्थी प्रतिवादी को कोई एतराज है तो उस पर तनकी कायम की जा सकती है तथा साक्ष्यों से साबित की जा सकती है। वाद आदेश 7 नियम 11ए व डी को प्रार्थना पत्र के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता जैसा कि DNJ(राज.)2011(2) पेज 730 व DNJ(राज.)(3) पेज 1066 तथा DNJ(राज.)2014(1) पेज 62 में न्याय सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है कृपया खारिज करावें।

उभयपक्षान की बहस के परिपेक्ष्य में मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य यह प्रकट करते है कि इसी विवादित अराजी को लेकर इन्हीं पक्षकारों के मध्य इस वाद को प्रस्तुत करने से पूर्व से लंबित चल रहा है जिस बाबत् कोई कथन वादीगण द्वारा नहीं किये गये हैं। अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के वकील द्वारा प्रस्तुत किये गये न्याय सिद्धान्त अपनी जगह सही है लेकिन प्रकरण की स्थिति को देखते हुए इस पर प्रभावी नहीं है। वादीगण जहां दिनांक 02.11.2010 को तथाकथित नोट नायब तहसीलदार बिजयनगर द्वारा लगाया जाना बताया है वह भी सही नहीं है क्योंकि दोनों दस्तावेज दिनांक 04.11.2010 को पेश हुए और उपपंजीयक बिजयनगर ने अपने नोट में भी यही अंकित किया है कि आज एक ही अराजी को लेकर दो दस्तावेज पेश हुए हैं। यह स्पष्ट हो चुका है कि पूर्ववर्ती वाद इसी विषय वस्तु और इन्हीं पक्षकारान के मध्य सन् 2010 से लंबित है जबकि यह वाद दिनांक 18.01.2011 को प्रस्तुत किया गया है। पूर्ववर्ती वाद के लंबित चलते इस वाद पर सुनवाई किया जाना न्यायोचित नहीं है। प्रस्तुत वाद में दिनांक 02.11.2010 के नोट को वाद कारण बताया है जो इस तिथि को उत्पन्न ही नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में वाद कथन से ही यह विधि विरूद्ध लाया जाना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किया जाता है तथा 07R11D के प्रावधानानुसार वादीगण का वाद चलने योग्य नहीं होने से सव्यय निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 02.11.2016 को कार्यालय हाजा में सुनाया जाता है।

(सुरेश चावला)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर मसूदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.03.04 12:15:10 IST
Reason: SelfAttested
Location: